न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 12/2019

अनवान :

1. प्रतापसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामनिवास पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. दयानन्द पुत्र सन्तलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बेदी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. तारावती पुत्री लालचन्द जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री लालचन्द जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. धोला पत्नि सन्तलाल जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. रेणु पुत्री सन्तलाल जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
7. सविता कुमारी पुत्री सन्तलाल जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
8. एसबीबीजे (एसबीआई) डाबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

वकील श्री जयकिशन गोदारा : प्रतिवादी सं0 1 ता 7

निर्णय **दिनांक :** 06·08·2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोजाना तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 28/27 के खसरा सं0 14/1 की 8.763 है0, खसरा सं0 99 की 1.670 है0 खसरा सं0 105 की 2.491 है0 कुल तादादी 12.924 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण सं0 1 व 2 के दादा एवं वादी सं0 3 के परदादा उदाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादभूमि उदाराम के देहान्त होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी लालचन्द, बेदी, तारावती, राजबाला तथा वादी दयानन्द के पिता सन्तलाल को विरासतन में प्राप्त हुई थी। परन्तु प्रतिवादी लालचन्द कर्ता खानदान होने के चलते वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा लालचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया जिसके चलते वादभूमि लालचन्द के नाम से दर्ज चली आ रही है।

6.8.19

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वाद भूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का पारिवारिक सैटंलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण सं0 1 व 2 तथा वादी सं0 3 के पिता सन्तलाल के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि वादीगण सं0 1 व 2 तथा वादी दयानन्द के पिता सन्तलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 8 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 9 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 प्रतापसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम मौजाना के खाता सं0 28/27 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। शपथ पत्र, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सन्तलाल, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सरस्वती, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम मोजाना सम्वत् 2029 से 38, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम मोजाना, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम मोजाना सम्वत् 2041 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दांवा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि पहले वादीगण सं0 1 व 2 के दादा एवं वादी सं0 3 के परदादा उदाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा उदाराम के देहान्त होने पर वादीगण के पिता सन्तलाल को विरासतन में प्राप्त हुई थी। इसलिए वाद भूमि वादी का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम मोजाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम मोजाना सम्वत् 2029 से 38 पेश की है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा उदाराम वल्द शादीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में लालचन्द के वारिसान में सरस्वती पत्नि फौत, एक पुत्र सन्तलाल फौत, दो पुत्र रामनिवास व प्रतापसिंह मौजूद एवं तीन पुत्रियां बेदी, तारावती, राजबाला मौजूद होना तथा मृत सन्तलाल के वारिसान में पत्नि धोला, एक पुत्र दयानन्द, दो पुत्री सविता कुमारी व रेणु होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि वादीगण ने अपने दावा में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द व प्रतिवादिया सं0 5 धोला पत्नी सन्तलाल द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि तर्क कर देना अंकित किया है। इस बाबत ना तो यह स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द व प्रतिवादिया सं0 5 धोला पत्नी सन्तलाल के पक्ष में अन्य कोई कृषि भूमि शेष है अथवा नहीं या उनके जीवन निर्वहन के लिए अन्य कोई स्त्रोत उपलब्ध हो। इस प्रकार वाद वादी आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोजाना तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 28/27 के खसरा सं0 14/1 की 8.763 है0, खसरा सं0 99 की 1.670 है0 खसरा सं0 105 की 2.491 है0 कुल तादादी 12.924 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी लालचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0 5 धोला 1/28 हिस्सा व

6.8.17

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वादी सं0 1 प्रतापसिंह 2/7 हिस्सा व वादी सं0 2 रामनिवास 2/7 हिस्सा व वादी सं0 3 दयानन्द 7/28 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 ता 4, 6, 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्य व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06-08-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फस्टि-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 12/2019

अनवान :

1. प्रतापसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. रामनिवास पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. दयानन्द पुत्र सन्तलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।

\- वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. बेदी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. तारावती पुत्री लालचन्द जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री लालचन्द जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. धोला पत्नि सन्तलाल जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. रेणु पुत्री सन्तलाल जाति जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
7. सविता कुमारी पुत्री सन्तलाल जाट निवासी मोजाना तहसील भादरा।
8. एसबीबीजे (एसबीआई) डाबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

\- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखरांम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोजाना तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 28/27 के खसरा सं0 14/1 की 8.763 है0, खसरा सं0 99 की 1.670 है0 खसरा सं0 105 की 2.491 है0 कुल तादादी 12.924 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी लालचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द 1/7 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0 5 धोला 1/28 हिस्सा व वादी सं0 1 प्रतापसिंह 2/7 हिस्सा व वादी सं0 2 रामनिवास 2/7 हिस्सा व वादी सं0 3 दयानन्द 7/28 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 ता 4, 6, 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्य व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़